पत्रांकः सं०- 2/नविप्र-01-01/2007-1974

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं जनजाति, कल्याण विभाग।

प्रेषक,

श्री के0 सी0 साहा, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
उप विकास आयुक्त,
बिहार।

विषयः– Manual Scavengers हेतु नई योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

दिनांकः 30/5/08

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि :–

1. उक्त योजना राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च प्राथमिकतावाली योजना है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त निदेशों के आलोक में **इस योजना का कार्यान्वयन (पुनर्वास एवं प्रशिक्षण) हर हालत में 31.12.08 तक पूरा कर लिया जाना है।**

2. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि आपके जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों के आवेदन पत्र 30 जून 08 तक भेज दिए जाय। इस संदर्भ में पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 1835 दिनांक 23.05.08 द्वारा आपसे अनुरोध किया जा चुका है (निर्धारित लक्ष्य की प्रति संलग्न)।

3. आवेदन पत्रों को बैंक भेजने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चरण यह है कि आवेदक के एवं उनके आश्रितों के Manual Scavengers होने का प्रमाण पत्र निश्चित रूप से ससमय बन जाय। इसके लिए आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (जिसके द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन की जा रही है) से प्राप्त सूची का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी, नगरपालिका के पदाधिकारी या प्रभारी पदाधिकारी नोटीफाईड एरिया कमिटी) को भेजकर उनसे आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय। इस प्रमाण पत्र के समय पर उपलब्ध होने से ही योजना का कार्यान्वयन निर्धारित समय के अन्दर हो पायेगा।

4. इस योजना के कार्यान्वयन के सिलसिले में निगम के जिला स्तरीय समिति (जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी एवं उपाध्यक्ष उप विकास आयुक्त होते है) की बैठक भी आवश्यक हो सकती है। इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि बैठक की तिथि शीघ्र

निर्धारित करते हुए सर्वेक्षण सूची का अनुमोदन प्रशिक्षण संस्थान के चयन प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण एवं प्रशिक्षणार्थियों की सूची का अनुमोदन शीघ्र कराने का कष्ट किया जाय।

इस संबंध में यह उल्लेख करना अतिआवश्यक है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 जून 08 तक नही हो सका तो कल्याण मंत्रालय के निर्देश के आलोक में लक्ष्य वर्ग के पात्र व्यक्ति इस प्रशिक्षण से वंचित हो जाएंगें। अतः इस सिलसिले में तुरन्त कार्रवाई अत्यावश्यक है।

5. योजना के कार्यान्वयन के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी आवेदन पत्र 30 जून 08 तक बैंक भेज दिये जाय और बैंको से निर्धारित समयसीमा के अन्दर उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

इस क्रम में अगला चरण बैंको से अनुदान के लिए प्राप्त दावा पत्र के आधार पर अनुदान राशि की विमुक्ति अतिमहत्वपूर्ण है। इस कार्य हतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार अनुदान राशि का चेक जिला पदाधिकारी या उप विकास आयुक्त के साथ–साथ निगम के जिला कार्यपालक पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जाता है। यदि इस स्तर पर भी किसी तरह का विलंब होता है तो भी योजना की प्रगति वाधित होगी। अतः इस स्तर पर भी किसी तरह का विलंब न हो इस संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं के आलोक में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए इस योजना का कार्यान्वयन निर्धारित समयावधि के अन्दर कराने की कार्रवाई करने का कष्ट करें।

अनु0–लक्ष्य की प्रति।

विश्वासभाजन

30.5.08

प्रधान सचिव